



F-07-08

F-07-11

**सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

**IS/ISO: 9001:2008**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बंगलूरु  
MARATHAHALLI COLONY P.O  
BENGALURU - 560 037

**वर्ग अनुमोदन सं. 1647 का संशोधन सहित नवीकरण**  
**Amendment Cum Renewal of Type Approval No. 1647**  
**मद/For Item: आईसो प्रोपानोल/ आईसो प्रोपाइल एलकहोल**  
**ISO PROPANOL/ ISO PROPYL ALCOHOL**

यह घोषित किया जाता है कि यू एस एस आर ईथाइल एलकहोल के बदले मेसर्स थर्मोफिशर साइन्टिफिक प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई- 400 022, द्वारा विकसित और उत्पादित, " आईसो प्रोपानोल/ आईसो प्रोपाइल एलकहोल (एसक्यू) ग्रेड " को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1647, दिनांक 28 फरवरी 2007 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1647 जारी किया गया था तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1647/1ए, दिनांक 30 जनवरी 2014 द्वारा संशोधन जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2015 तक था।

*This is to state that the "ISO PROPANOL/ ISO PROPYL ALCOHOL (SQ) GRADE", against USSR Ethyl Alcohol developed and manufactured by M/s. Thermo Fisher Scientific Pvt. Ltd., Mumbai – 400 022, was issued with Type Approval No.: 1647 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1647, Dated: 28<sup>th</sup> February 2011 and was subsequently Amended vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1647/1A, Dated: 30<sup>th</sup> January 2014 with validity up to 31<sup>st</sup> December 2015.*

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 अगस्त 2016 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 30 जून 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (नासिक), डी आर डी ओ, रक्षा मंत्रालय, द्वारा एचएएल नासिक प्रभाग, ओझर टाउनशिप – 422 207, नासिक से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

*This is to Certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 01<sup>st</sup> August 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30<sup>th</sup> June 2021 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Nasik), DRDO, Ministry of Defence, C/o. HAL Nasik Division, Ojhar Township – 422 207, Nasik, Three (3) Months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*



3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1647, दिनांक 28 फरवरी 2011 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद 5 में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

*The Para five of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1647, Dated: 28<sup>th</sup> February 2011 is Amended as stated herewith.*

“[अगर इस संलग्न टाइप रिकॉर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

*Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.*

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

*All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered, and fully applicable.*

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1647/1R

दिनांक/Date : 04 August 2016

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

02nd Aug 16

Kishore

पी जयपाल / P.JAYAPAL  
मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)  
Chief Executive (Airworthiness)